अनुसूची 14 फारम सं0 562

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक; 1941 का नियम 139)

आदेश पत्रक ता0 .... तक

वाद सं0-79/2020

केस का प्रकार - अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत।

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवा के बारे में टिप्पणी और तारीख
04.10.2020	पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 6018/सी0आर0, दिनांक 28.09.2020 द्वारा (संलग्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 3162 दिनांक 26.09.2020) अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी शिव शंकर उर्फ सोनू सिंह, पिता-संजय कुमार सिंह, सा0-शास्त्रीनगर, कॉलोनी, थाना-के0 हाट, जिला-पूर्णिया एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। वर्त्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. के0 हाट (सहायक) थाना कांड संख्या-213/2020 दिनांक-28.04.2020, धारा-341, 385, 387, 307, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। 2. के0 हाट थाना सनहा संख्या-455/2020 दिनांक-23.09.2020 3. के0 हाट थाना सनहा संख्या-460/2020 दिनांक 23.09.2020 4. के0 हाट थाना सनहा संख्या-497/2020 दिनांक 24.09.2020 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है। विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार से स्पष्ट होता है कि उक्त अपराधकर्मी पर दर्ज के0 हाट (सहायक)	

थाना काण्ड सं0-213/2020 में वर्णित धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम अधिनियम 1981 की धारा-2(डी)(1) के तहत् दण्डनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपराधकर्मी पर अन्य कोई काण्ड दर्ज नहीं है। फलतः अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धरा-3 के तहत् विपक्षी के विरूद्ध कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।

चूँकि थानाध्यक्ष, के0 हाट / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः थानाध्यक्ष, के0 हाट को निदेश दिया जाता है कि शिव शंकर उर्फ सोनू सिंह, पिता-संजय कुमार सिंह, सा0-शास्त्रीनगर, कॉलोनी, थाना-के0 हाट, जिला-पूर्णिया पर विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2548 / विधि पूर्णियाँ, दिनांक 06.10.20

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, के0 हाट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनु0पुलिस पदा0 सदर / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी पूर्णियाँ / जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/10/20

वरीय उपसमाहर्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ